उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1

3/2017/सं0वि0क0नि0-1-2082/11-2017-400टी(10)/2017टी0सी0

लखनऊः दिनांकः: 27 दिसम्बर, 2017

<u>विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण</u>

शासन की विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण आदेश संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1628 /11- 2017-400टी/2017, दिनांक 27. अक्टूबर, 2017 द्वारा श्री संजीव कुमार निरंजन, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर का स्थानान्तरण डिप्टी कमिश्नर खण्ड-1 गोण्डा के पद पर किया गया था।

2- सम्यक विचारोपरान्त श्री संजीव कुमार निरंजन, नवपदोन्नत डिप्टी कमिश्नर का शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से श्री संजीव कुमार निरंजन डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर खण्ड-1 वाणिज्य कर कन्नौज के पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

3- शासन का उपरोक्त विज्ञप्ति/तैनाती/स्थानान्तरण आदेश संख्या- सं0वि0क0नि 0-1-1628 /11-2017-400टी/2017, दिनांक 27. अक्टूबर, 2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

श्री राज्यपाल की ओर से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या-सं0वि0क0नि0-1-2082(1)/11-2017, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कर, अपनी योगदान आख्या कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।